सर्वोच्च प्राथमिकता

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– प्रे0आ0 /बदायूँ/23699/2017, दिनांक, लखनऊ, मई 18 , 2017

सेवा में,

बन संरक्षक,
बरेली वृत्त,
बरेली।

विषय: बदायूँ में पीलीभीत–बरेली–भरतपुर मार्ग (SH-33) के चैनेज किमी0 102.115 से 113.00 (चैनेज किमी0 102.115 से 114.20 तक) 04 लेन विद पेब्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 13.29 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2604 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–4144/14–1, दिनांक 12.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनाओं का पूर्ण एवं सुसंगत निराकरण नहीं किया गया है, जिसके अभाव में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है। अतः निम्नानुसार सूचनाओं का निराकरण कर वांछित अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षतिपूरक वनीकरण के प्राक्कलन में अनुरक्षण एवं अनुमानित बृद्धि के समावेश के उपरान्त सारांश को संशोधित नहीं किया गया है तथा संशोधनोपरान्त समस्त आवश्यक अभिलेखों यथा : व्यय होने वाली धनराशि, के0एम0एल0 फाइल, संशोधित प्राक्कलन आदि को ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13 पर अपलोड कर ऑनलाइन पार्ट–2 की संशोधित प्रति नहीं लगाई गयी है। सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित प्रति तीन प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण की के0एम0एल0 फाइल संलग्न की गयी है। प्रस्तावित वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– प्रे0आ0 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बदायूँ को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेख वन संरक्षक, बरेली को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अभिलेख प्रभागीय निदेशक, बदायूँ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।